


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज मुकेश बनाम मोहरपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख को जारी हुए।
22.08.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं 1 की और से अधिवक्ता श्री अरुण कुमार गौड उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजात यथा-नकल जमांबदी ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रथम दृष्टया कैस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सांबित होता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं 423/66 रकबा 1.7705 है0 वाकै ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा में उभयपक्षकारान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैशला वाद बनाये रखे। उक्त स्थगन आदेश केसीसी पर प्रभावी नही होगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमे आम में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा (दौसा) </p>	21